बिहार सरकार,
सेकेन्ड्री, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक जून 2005

संख्या 10/वि1-22/2005शि0 8/0 / बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की जानेवाली माध्यमिक परीक्षा में छात्रों के पंजीयन एवं उत्प्रेषण के संबंध में सेकेन्ड्री, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग के द्वारा पूर्व में निर्गत किए गए सभी आदेशों एवं अधिसूचना संख्या 13/वि-013/96 शि0 1516 दिनांक 13 जुलाई 1996 को विलोपित करते हुए अधिसूचना सं0 13/वि1-013/96 शि0 590 दिनांक 02-06-2000 द्वारा छात्रों के पंजीयन एवं उत्प्रेषण के संबंध में निम्न नीति निर्धारित की गई थी:-

(1) राज्य के स्थापना की अनुमति प्राप्त विद्यालयों को अपने विद्यालय से स्वतंत्र छात्रों का पंजीयन करने एवं उन्हें उत्प्रेषित करने की अनुमति नहीं होगी।

(2) राज्य के स्थापना की अनुमतिप्राप्त विद्यालय के छात्र राज्य के किसी भी राजकीय/राजकीयकृत उच्च विद्यालय से स्वतंत्र छात्र के रूप में पंजीयन कराकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं और उन्हें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विनियमावली 1964 के अध्याय-4 की धारा- 3 में वर्णित स्वतंत्र छात्रों के लिए निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करना पड़ेगा।

(3) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की जानेवाली माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पंजीयन हेतु स्थापना की अनुमति प्राप्त विद्यालयों के छात्रों को निम्नांकित प्रक्रिया पूरी करनी होगी :-

(i) ऐसे छात्र स्वतंत्र छात्र के रूप में राज्य के किसी राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय से पंजीकृत होंगे।

(ii) इन छात्रों को आवासीय प्रमाण-पत्र, आचरण प्रमाण-पत्र एवं जन्म-तिथि के संबंध में शपथ-पत्र/प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।

(iii) आवासीय प्रमाण-पत्र जिस राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय से वे छात्र स्वतंत्र रूप से पंजीकृत होना चाहते हैं वहाँ के विद्यालय प्रधान के द्वारा स्थापना की अनुमति प्राप्त विद्यालय की 9वीं एवं 10वीं कक्षाओं की उपस्थिति पंजी की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात कि विगत दो वर्षों की अवधि में वे छात्र विद्यालय के नियमित छात्र रहे हैं, निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र को मान्यता दी जाएगी।

(iv) आचरण प्रमाण-पत्र राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय के विद्यालय प्रधान के द्वारा, जहाँ से स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय के छात्र पंजीकृत होंगे, निर्गत आचरण प्रमाण-पत्र को मान्यता दी जाएगी।

(पी०टी०ओ०)

Scanned by CamScanner

(iv) जन्म-तिथि के संबंध में [illegible] के छात्र यदि राज्य के मान्यताप्राप्त मध्य विद्यालय से उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र है और उसमें जन्म-तिथि अंकित है, तो उसकी मान्यता दी जायेगी अन्यथा छात्र के अभिभावक को जन्म-तिथि के संबंध में प्रथम श्रेणी नोटरी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/न्यायालय से प्राप्त शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा। स्थापना की अनुमति प्राप्त विद्यालय के छात्रों के संबंध में विद्यालय के नामांकन पंजी में अंकित जन्म-तिथि ही मान्य होगी। [illegible] राजकीयकृत विद्यालय के विद्यालय प्रधान नामांकन पंजी में अंकित जन्म-तिथि को देखकर जन्म-तिथि के संबंध में प्रमाण-पत्र देंगे।

4. राज्य के स्थापना अनुमतिप्राप्त विद्यालयों के छात्रों का स्वतंत्र छात्र के रूप में पंजीयन कराने के बाद उन्हें उसी राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय से उत्प्रेषण परीक्षा पास करनी होगी, जहाँ से वे अपना पंजीयन कराते हैं।

उपर्युक्त अधिसूचना सं0 13/M1-013/96 शि0 590 दिनांक 02-6-2000 द्वारा छात्रों के पंजीयन एवं उत्प्रेषण के संबंध में जो नीति निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त माध्यमिक परीक्षाओं में स्वतंत्र परीक्षार्थियों के अवैध पंजीयन पर नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित प्रावधान भी रखने का निर्णय लिया गया है:-

(i) स्वतंत्र परीक्षार्थी अपने स्थायी निवास के मूल जिला के ही किसी विद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं।

(ii) निवास के मूल जिला निर्धारण हेतु सक्षम प्राधिकार को स्वतंत्र परीक्षार्थी द्वारा आवासीय प्रमाण-पत्र/पारिवारिक राशन कार्ड/माता-पिता का मतदाता सूची में नाम से संतुष्ट करना होगा।

(iii) स्वतंत्र परीक्षार्थी को यह शपथ-पत्र देना होगा कि उन्होंने पूर्व में कहीं से भी माध्यमिक परीक्षा की उत्तीर्णता नहीं प्राप्त की है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0- [illegible] श्रीवास्तव
सचिव, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक [illegible] पटना, दिनांक [illegible] जून 2003

प्रतिलिपि सचिव/अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/ सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/ विद्यालय निरीक्षिका, बिहार/ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7.6.03

[illegible] श्रीवास्तव
सचिव, माध्यमिक शिक्षा।

कृ0पृ0

Scanned by CamScanner